



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 120]
No. 120]

नई दिल्ली, मंगलवार, मार्च 20, 2007/फाल्गुन 29, 1928
NEW DELHI, TUESDAY, MARCH 20, 2007/PHAL GUNA 29, 1928

विद्युत मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 19 मार्च, 2007

सा.का.नि. 211(अ).—केन्द्रीय सरकार, विद्युत अधिनियम, 2003 (2003 का 36) की धारा 89 के खण्ड (2) और खण्ड (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम संघ राज्य-क्षेत्रों के लिए, दिल्ली को छोड़कर, संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग (अध्यक्ष और सदस्य के बेतन, भत्ते और सेवाओं की अन्य शर्तें) नियम, 2007 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तरीख से प्रवृत्त होंगे,—

2. परिभाषा एवं—(1) इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो—

(क) "अधिनियम" से विद्युत अधिनियम, 2003 अभिप्रेत है; और

(ख) "आयोग" से संघ राज्य क्षेत्रों के लिए संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग अभिप्रेत है।

(2) उन शब्दों और पदों के, जो इनमें प्रयुक्त हैं और परिभाषित नहीं हैं किंतु अधिनियम में परिभाषित हैं, वही अर्थ होंगे जो अधिनियम में उनके क्रमशः हैं।

3. पद और गोपनीयता की शपथ.—आयोग का अध्यक्ष और सदस्य अपने पद ग्रहण से पूर्व विद्युत मंत्रालय के भारसाधक मंत्री के समक्ष पद और गोपनीयता की शपथ प्रतिज्ञापित करेंगे। पद और गोपनीयता की शपथ निम्नलिखित प्रारूप में दिलाई जाएगी :—

गोपनीयता की शपथ

मैं इश्वर की शपथ लेता हूँ और सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूँ कि जो विषय संघ राज्य क्षेत्रों के लिए दिल्ली को छोड़कर, संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग के अध्यक्ष/सदस्य के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जब कि ऐसे अध्यक्ष/सदस्य के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक् निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूँगा।

संविधान के प्रति निष्ठा की शपथ और प्रतिज्ञान

मैं जो संघ राज्य क्षेत्रों के लिए, दिल्ली को छोड़कर संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग का अध्यक्ष/सदस्य नियुक्त हुआ हूँ, ईश्वर की शपथ लेता हूँ और सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूँगा, मैं भारत की प्रभुता और अखण्डता अक्षुण्ण रखूँगा तथा मैं सम्यक् प्रकार से और श्रद्धापूर्वक तथा अपनी पूरी योग्यता, ज्ञान और विवेक से अपने पद के कर्तव्यों का भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना पालन करूँगा तथा मैं संविधान और देश की विधियों की मर्यादा बनाए रखूँगा।

4. वेतन-संयुक्त आयोग का अध्यक्ष और सदस्य प्रतिमास छब्बीस हजार रुपये का वेतन प्राप्त करने के हकदार होंगे—

परंतु यदि अध्यक्ष या सदस्य के रूप में नियुक्त व्यक्ति निम्न स्रोतों से पेंशन प्राप्त करता हो—

(क) संघ सरकार जिसमें रेलवे, रक्षा डाक और दूरसंचार सम्मिलित है; या

(ख) गज्य मरकारें और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन; या

(ग) सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम, स्थानीय निकाय, स्वायत्त निकाय जैसे विश्वविद्यालय या अर्द्ध सरकारी संगठन जैसे पत्तन न्यास;

तो ऐसे व्यक्ति के वेतन में से उसके द्वारा प्राप्त की जाने वाली पेंशन की कुल रकम को घटा दिया जाएगा।

परंतु यह और भी कि अध्यक्ष या सदस्य वेतन के ऐसे नियतन के पूर्व मूल वेतन पर भत्ते प्राप्त करने का हकदार होगा।

5. महंगाई भत्ता और नगर प्रतिकारात्मक भत्ता—अध्यक्ष और सदस्य केन्द्रीय सरकार के समूह 'क' के अधिकारी जो इनके समतुल्य वेतन प्राप्त कर रहा है, को अनुज्ञेय दर पर महंगाई भत्ता, नगर प्रतिकारात्मक भत्ता और अन्य प्राप्त करने के हकदार होंगे।

6. छुट्टी—अध्यक्ष या सदस्य सेवा के प्रत्येक वर्ष के लिए तीस दिन की उपार्जित छुट्टी का हकदार होगा। छुट्टी के दौरान छुट्टी के वेतन का संदाय केन्द्रीय सिविल सेवा (छुट्टी) नियम, 1972 के नियम 40 के उपबंधों के अधीन शासित होगा।

7. छुट्टी मंजूर करने वाला प्राधिकारी—अध्यक्ष की दशा में, विद्युत मंत्रालय का भारसाधक मंत्री और सदस्य की दशा में अध्यक्ष छुट्टी मंजूर करने वाला प्राधिकारी होगा।

8. भविष्य निधि—अध्यक्ष और सदस्य अंशदायी भविष्य निधि नियम, 1962 के उपबंधों द्वाय शासित होंगे और साधारण भविष्य निधि नियम (केन्द्रीय मेंवा), 1960 के उपबंधों के अधीन अंशदान करने का कोई विकल्प उपलब्ध नहीं होगा। आयोग में की गई सेवा के लिए अतिरिक्त पेंशन और उपदान अनुज्ञेय नहीं होंगे।

9. यात्रा भत्ता—(1) अध्यक्ष और सदस्य भारत के भीतर दौरा करते समय या आयोग में कार्यभार ग्रहण करने के लिए स्वयं और कुटुम्ब द्वारा की गई यात्रा या आयोग में पदावधि के पर्यावरण पर अपने कुटुम्ब के साथ अपने गृह नगर को की गई यात्रा के लिए यात्रा भत्ता, दैनिक भत्ता और निजी सामान के गरिबहन के लिए उसी मापमान और उन्हीं दरों पर हकदार होंगे जो समतुल्य वेतन प्राप्त करने वाले केन्द्रीय सरकार के समूह "क" के अधिकारी को लागू होती है।

(2) अध्यक्ष या सदस्य द्वारा किए जाने वाले विदेशी दौरों के लिए विद्युत मंत्रालय के भरसाधक मंत्री और सचिवों की अनुबोधन समिति का पूर्व अनुमोदन और विदेश मंत्रालय से राजनीतिक दृष्टिकोण से और विदेशी अभिदाय (विनियमन) अधिनियम, 1976 के उपबंधों के अधीन विदेशी मेहमाननवाजी स्वीकार करने के लिए यदि कोई हो, गृह मंत्रालय से अनापत्ति अपेक्षित होगी।

परन्तु विदेशी दौरों की अवधि के दौरान दैनिक भत्ता और होटल आवास व्यवस्था ऐसे आदेशों के जो केन्द्रीय सरकार के समतुल्य वेतन प्राप्त करने वाल समूह "क" के अधिकारी को लागू होती है, समय-समय पर वित्त मंत्रालय द्वाय जारी किए गए आर्थिक अनुदेशों या अन्य अनुदेशों के अनुसूप होंगे।

10. छुट्टी यात्रा रियायत—अध्यक्ष और सदस्य उसी वेतनमान और उन्हीं दरों पर जो समतुल्य वेतन प्राप्त करने वाले केन्द्रीय सरकार के समूह "क" के अधिकारियों को लागू होते हैं, छुट्टी यात्रा रियायत प्राप्त करने के हकदार होंगे।

11. आवास सुविधा—(1) अध्यक्ष और सदस्य संयुक्त आयोग के मुख्यालय में आवास के लिए मकान किराया भत्ते के हकदार उस दर पर होंगे जैसा कि समतुल्य वेतन पाने वाले केन्द्रीय सरकार के अधिकारी के मामले में लागू हैं।

(2) पट्टे पर आवास की दशा में, हकदारी केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुसूची 'क' के पब्लिक सेक्टर उद्यमों के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक की हकदारियों को ध्यान में रखते हुए सार्वजनिक उद्यम विभाग द्वारा समस-समय पर विनिर्दिष्ट कुर्सी क्षेत्र और किराए की अधिकतम सीमा के अनुसार तथा टाइप-6 के आवासों के लिए शहरी विकास मंत्रालय द्वारा विनिर्दिष्ट बाजार किराये और कुर्सी क्षेत्र को भी ध्यान में रखते हुए की जाएगी :

परन्तु ऐसे पट्टे पर आवास के लिए जो अध्यक्ष या सदस्य की हकदारी के अनुसार और उसके भीतर है, मानक अनुज्ञित फीस वही होगी जो समतुल्य वेतन प्राप्त करने वाले केन्द्रीय सरकार के समूह "क" के अधिकारी की दशा में है :

परन्तु यह और कि ऐसे पट्टे पर आवास के लिए जो हकदारी से उच्चतर है, यथास्थिति, अध्यक्ष या सदस्य के वेतन से मूल वेतन के अर्थात् पेंशन घटाए बिना दस प्रतिशत की दर पर वसूल की जाएगी ।

12. परिवहन—अध्यक्ष और सदस्य को सरकारी यान का उपयोग करने अथवा ऐसी धनराशि की प्रतिपूर्ति जो केन्द्रीय सरकार द्वारा समतुल्य वेतन प्राप्त करने वाले केन्द्रीय सरकार के समूह "क" के अधिकारी के संबंध में समय-समय पर उसके अपनी निजी कार का उपयोग करने और उसके रख-रखाव के लिए नियत किया जाए, का विकल्प अनुज्ञय होगा ।

13. चिकित्सीय उपचार—अध्यक्ष और सदस्य ऐसे चिकित्सीय प्रतिपूर्ति और सुविधा के हकदार होंगे जो समतुल्य वेतन प्राप्त करने वाले केन्द्रीय सरकार के समूह "क" के अधिकारी को लागू हों ।

14. टेलीफोन सुविधा, सरकारी अधिवेशन और मनोरंजन व्यय—अध्यक्ष और सदस्य ऐसी टेलीफोन सुविधा, सरकारी अधिवेशनों और मनोरंजन व्ययों के लिए पात्र होंगे जो समतुल्य वेतन प्राप्त करने वाले केन्द्रीय सरकार के समूह "क" के अधिकारी का अनुज्ञेय है ।

15. सेवा की अन्य शर्तें—अध्यक्ष और सदस्य की सेवा की अन्य शर्तें जिनकी बाबत इन नियमों में कोई स्पष्ट उपबंध नहीं किया गया है, वे होंगी जो समतुल्य वेतन प्राप्त करने वाले केन्द्रीय सरकार के समूह "क" के अधिकारी पर लागू हैं ।

16. शिथिल करने की शक्ति—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राह है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके और जन हित में इन नियमों के किसी उपबंध को आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी ।

[फा. सं. 47/1/2005—आर एंड आर]

गिरीश भा. प्रधान, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF POWER

NOTIFICATION

New Delhi, the 19th March, 2007

G.S.R. 211(E).—In exercise of the powers conferred by clause (2) and (3) of Section 89 of the Electricity Act, 2003 (36 of 2003) the Central Government hereby makes the following rules, namely :

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Joint Electricity Regulatory Commission for Union Territories except Delhi (Salary, Allowances and other Conditions of Service of Chairperson and Member) Rules, 2007.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Definitions.—(1) In these rules unless the context otherwise requires,—

(a) "Act" means the Electricity Act, 2003; and

(b) "Commission" means Joint Electricity Regulatory Commission for Union Territories.

(2) Words and expressions used herein and not defined but defined in the act, shall have the meanings respectively assigned to them in the Act.

3. Oath of office and secrecy.—The Chairperson and Member of the Commission shall, before entering upon his office, subscribe to an oath of office and secrecy before the Minister-in-charge of the Ministry of Power. The oath of office and secrecy shall be administered in the following form :

Oath of Secrecy

I, do swear in the name of God and solemnly affirm that I shall not directly or indirectly, communicate or reveal to any person or persons any matter which shall be brought under my consideration or shall become known to me as Chairperson/Member of the Joint Electricity Regulatory Commission for Union Territories except Delhi, except as may be required for the due discharge of my duties as such Chairperson/Member.

Oath and affirmation of allegiance to Constitution

I, having been appointed Chairperson/Member of the Joint Electricity Regulatory Commission for Union Territories except Delhi, do swear in the name of God and solemnly affirm that I shall bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I shall uphold the sovereignty and integrity of India, that I shall duly and faithfully and to the best of my ability, knowledge and judgement perform the duties of my office without fear or favour, affection or ill will and that I will uphold the Constitution and the laws of the land.

4. Pay.—The Chairperson and Member of the Joint Commission shall be entitled to receive a pay of rupees twenty six thousand per month :

Provided that in case a person appointed as the Chairperson or Member is in receipt of pension from :

- (a) Union Government including Railways, Defence, Posts and Telecommunication; or
- (b) State Governments and Union Territory Administrations; or

(c) Public Sector Undertakings, Local Bodies, Autonomous Bodies like Universities or Semi-Government Organizations like Port Trusts;

the pay of such person shall be reduced by the gross amount of pension drawn by him :

Provided further that the Chairperson or Member shall be entitled to receive allowances on the original basic pay before such fixation of pay.

5. Dearness allowance and city compensatory allowance.—The Chairperson and Member shall be entitled to receive dearness allowance and city compensatory allowance, and other allowances at the rate admissible to a Group 'A' Officer of the Central Government drawing an equivalent pay :

6. Leave.—The Chairperson or Member shall be entitled to thirty days earned leave for every year of service. The payment of leave salary, during leave, shall be governed under the provisions of rule 40 of Central Civil Services (Leave) Rules, 1972.

7. Leave sanctioning authority.—In the case of the Chairperson, the Minister-in-charge of the Ministry of Power, and in the case of Member, the Chairperson, shall be the leave sanctioning authority.

8. Provident Fund.—The Chairperson and Member shall be governed by the provisions of the Contributory Provident Fund (India) rules, 1962 and no option to subscribe under the provisions of the General Provident Fund Rules (Central Services), 1960 shall be available. Additional pension and gratuity shall not be admissible for service rendered in the Commission.

9. Travelling allowances.—(1) The Chairperson and Member while on tour within India or for the journey undertaken by self and family to join the Commission or on the expiry of term with the Commission to proceed to his home town with family shall be entitled to the journey allowance, daily allowance and transportation of personal effects at the same scales and at the same rates as are applicable to a Group 'A' Officer of the Central Government drawing an equivalent pay.

(2) Foreign tours to be undertaken by the Chairperson or Member shall require prior approval of the Minister-in-charge of the Ministry of Power and of the Screening Committee of the Secretaries and clearance from the Ministry of External Affairs from political angle and from the Ministry of Home Affairs for acceptance of foreign hospitality, if any, under the provisions of the Foreign Contribution (Regulation) Act, 1976 :

Provided that the daily allowance and provision for hotel accommodation during the period of tour abroad, shall be in accordance with such orders of the Central Government as are applicable to a Group "A" officer of the Central Government, drawing an equivalent pay and as per the economy instructions or other instructions issued by the Ministry of Finance from time to time.

10. Leave travel concession.—The Chairperson and Member shall be entitled to leave travel concession at the same scale and at the same rate as applicable to Group 'A' Officers of the Central Government drawing an equivalent pay.

11. Accommodation.—(1) The Chairperson and Member shall be entitled for House Rent Allowance for residence located at the headquarter of the Joint Commission at the rate as applicable in the case of a Central Government officer drawing equivalent pay.

(2) In the case of a leased accommodation, the entitlement shall be determined by the Central Government keeping in view the entitlements of the Chairman and Managing Director of a Schedule "A" public sector enterprise in terms of plinth area and rental ceiling specified by the Department of Public Enterprises from time to time and also taking into consideration the market rent and plinth area specified by the Ministry of Urban Development for Type VI accommodation :

Provided that for such leased accommodation which is according to and within the entitlement of the Chairperson or the Member, the standard license fee shall be the same as in the case of a Group "A" officer of the Central Government drawing an equivalent pay :

Provided further that for leased accommodation which is higher than the entitlement, recovery at the rate of ten per cent of the basic pay i.e., without deducting pension shall be made from the salary of the Chairperson or Member, as the case may be.

12. Transport.—The Chairperson and Members shall be allowed the option to make use of an official vehicle or reimbursement of such amount as may be fixed by the Central Government from time to time in respect of a Group "A" officer of the Central Government drawing an equivalent pay for the use and maintenance of his personal car.

13. Medical treatment.—The Chairperson and Members shall be entitled to medical reimbursement and facility as may be applicable to a Group "A" officer of the Central Government drawing an equivalent pay.

14. Telephone facility, official meetings and entertainment expenses.—The Chairperson and a Member shall be eligible for telephone facilities, official meetings and entertainment expenses as admissible to a Group "A" officer of the Central Government drawing an equivalent pay.

15. Other conditions of services.—Other conditions of service of the Chairperson and a Member, with respect to which no express provision has been made in these rules, shall be such as are admissible to a Group "A" officer of the Central Government drawing an equivalent pay.

16. Power to relax.—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, in the public interest by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules.

[F. No. 47/1/2005-R&R]

GIREESH B. PRADHAN, Jt. Secy.

952 GI/07-2